

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 10 अगस्त, 2015

संख्या-1/पी0-105/2008 का0- 7166/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड विद्युत वितरण/उत्पादन, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राहुल कुमार पुरवार, भा.प्र.से. (झा:99) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत श्रावणी मेला की समाप्ति तक देवघर जिला का विशेष जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.8.2015

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

संख्या-1/पी0-105/2008 का0- 7166/ राँची, दिनांक 10 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली /प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.8.2015

सरकार के सचिव।